

17<sup>2</sup>/<sub>26</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप।  
पत्रावली वास्ते इंतजार 12.1. भीमाणा  
मोका रिपोर्ट आयांदा दिनांक 25-2-26  
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

25<sup>02</sup>/<sub>26</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। राज फैसला उप  
TDR बाली से रमरा रिपोर्ट प्राप्त हैफर शामिल पत्रावली  
की गई। उपरिष्ठ कुलाप की बहस सुनी गई। पत्रावली  
व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन एवं कुलाप की बहस  
पर मनन के तश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी बरीफर लिखा  
जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा गया। आदेश उपरि  
TDR बाली व सम्स्त संबंधित को चालनार्थ भिजवई जावै।  
पत्रावली फसल शुमार हैफर नम्बर से कम हो।



सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

मिशन पत्रावली  
वैतिका  
मिशन पत्रावली

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)**  
**पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.**

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/784

दायरा तिथि : 24.12.2025

आदेश तिथि : 25-02-26

प्रार्थी :-

सुमेराराम पुत्र पुखाराम जाति भील निवासी ओसीया जिला जोधपुर

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955  
 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012  
 बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 25-02-26

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम काकराडी पटवार हल्का काकराडी तहसील बाली के खसरा नंबर 32/3 रकबा 0.9600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम काकराडी पटवार हल्का काकराडी तहसील बाली के खसरा नंबर 422/32 रकबा 26.5101 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के रांलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (मुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरारण में निरीक्षक भू-अभिलेख भीमाणा को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2026/592 दिनांक 23.02.2026 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है
2. यह है कि प्रस्तावित नजरी नक्शों में प्रस्तावित रास्ता रागरत रास्तों के विकल्पों में से निकटतम है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	422/32	26.5101	गै.मु. मगरा	109X09=981 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 89460/- रुपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर गनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम काकराडी पटवार हल्का काकराडी तहसील बाली के खसरा नंबर 32/3 रकबा 0.9600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकॉर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

सहायक कमिश्नर एवं पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम काकराडी पटवार हल्का काकराडी तहसील बाली के खसरा नंबर 32/3 रकबा 0.9600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम काकराडी पटवार हल्का काकराडी तहसील बाली के खसरा नंबर 422/32 रकबा 26.5101 हैक्टर में से 981 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 89460/-रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
422/32	26.5101	109X09=981 वर्गमीटर	9	8829X2=17658	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 17658/- (अक्षरे सत्रह हजार छः सौ अठारवन रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमानत दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जायेगी। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2026/310-314

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 भीमाणा
3. पटवारी हल्का, काकराडी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक सुमेराराम पुत्र पुखाराम जाति भील निवासी ओसीया जिला जोधपुर को सूचनार्थ।

सहायक उपखण्ड अधिकारी  
अतिरिक्त  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
बाली

दिनांक : 26-2-2026

सहायक उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

